फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम लक्ष्मणगढ़

अशोक बनाम कालू राम

प्रा. पत्र 212 आर.टी.एक्ट स्थगन प्रा0 पत्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
27.01.2020	आज यह प्रा.पत्र सायल के वकील द्वारा मय प्रा0 पत्र 212 आर.टी.एक्ट पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली गई। सायल ने प्रार्थना पत्र के साथ स्वयं का शपथ पत्र एवं फोटोप्रति जमाबन्दी 2072—2075 पेश कर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का निवेदन किया। हमने वकील सायल की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के साथ पेश दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्टया केस एवं सूविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत होती है। अतः अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी तारीख पेशी दिनांक 30.03.2020 तक पाबन्द किया जाता हैं कि विवादित आ.ख. नं0 हाल 1235, 1239 वाके ग्राम रामबास तह0 गोविन्दगढ में सायल के कब्जे काश्त में रूकावट मजाहमत पैदा न करने व मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाताहै। उक्त आदेश की पालना में कोई एतराज हो तो नियत दिनांक को उपस्थित न्यायालय होकर जाहिर करें कि क्यों ना उक्त आदेश ताफैसला दावा स्थाई कर दिया जावें। आदेश जारी हो।पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण को नोटिस तलब कर दिनांक 30.03.2020 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ अलवर	
30/3/20	[illegible] कोविड 19 [illegible] [illegible] 1-7-20 को पेश हो। [illegible]	
1/7/20	[illegible] कोविड 19 [illegible] [illegible] 19/8/20 को पेश हो। [illegible]	
19/8/20	[illegible] कोविड 19 [illegible] [illegible] 14/10 को पेश हो। [illegible]	

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ़ जिला अलवर

अशोक बनाम कालूराम वगैरह

प्रकरण सं. 2/53/2021 तारीख रजू 15.11.2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
23.5.25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 लगा 4 की तामील रिपोर्ट पेश करे। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक २५.६.२५ को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०	
२५.६.२५	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। पत्रावली दीर्घावधि से अप्रार्थी सं. 1 लगा 4 की तामील में विचाराधीन है, तामील हेतु बार-बार अवसर दिये जा चुके हैं परन्तु वकील प्रार्थी द्वारा आदिनांक तक अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की तामील नहीं करायी गयी है। अतः प्रार्थना पत्र-212 सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 8 के आलोक में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०	